बिहार सरकार
दि० 6/11/02

स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा, प०क० एवं देशी चिकित्सा) विभाग ।

अधिसूचना

संख्या 16/एम1-02/98 762 (दे० चि०)/स्वा०, डा० हलीम होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक एफ०नं०-16-1/2001, सी०सी०एच०/3147, दिनांक 9-5-2001 के द्वारा प्रथम बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु दी गयी शर्त मान्यता तथा राज्य सरकार द्वारा गठित जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार होमियो-पैथिक चिकित्सा शिक्षा संस्थान (विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम-1987 की धारा-6 के तहत सत्र 2002-2003 से प्रथम बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रम में 50 (पचास) छात्रों का उन्नीकृष्णन केश के फैसले में निर्धारित स्कीम के तहत नामांकन लेने की अनुमति देते हुए, अगले आदेश तक मान्यता प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(एस० के० सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 762 (दे० चि०)/स्वा०, पटना, दिनांक 6/11/02

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 762 (दे० चि०)/स्वा०, पटना, दिनांक 6/11/02

प्रतिलिपि कुल सचिव, बाबा भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं प्रासंगिक कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि सचिव, केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, पटना/ प्राचार्य, डा० हलीम होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मंत्री/राज्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य (चि० शि०, प०क० एवं दे० चि०) विभाग को सूचनार्थ/ उप सचिव-सह-निदेशक, दे०चि०/ उप निदेशक (होमियो)/आयुर्वेदिक/यूनानी/ प्रशाखा पदाधिकारी-16 / देशी चिकित्सा निदेशालय के सभी विशेष कार्य पदाधिकारी एवं संचिका सहायक को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।